प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.09.2024

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरा गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 लूट का मोबाइल फोन व लूट की 02 चेन पीली धातु बरामद।

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग कर रहे थे तभी एक बाइक सवार व्यक्ति लिंकरोड अंडर पास की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो रुका नहीं और मैन श्याम पार्क की तरफ भागने लगा फुट ओवर ब्रिज के पास पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करके भागने लगा पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाए पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम भीम पुत्र नीर सिंह निवासी डी ब्लॉक एच 1267 राजीव कॉलोनी मोहन नगर साहिबाबाद गाज़ियाबाद बताया जिसके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही लूट व चोरी के आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 01 लूट का मोबाइल फोन व लूट की 02 चेन पीली धातु बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भीम पुत्र नीर सिंह निवासी डी ब्लॉक एच 1267 राजीव कॉलोनी मोहन नगर साहिबाबाद गाज़ियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा लूट/छिनैती/चोरी की घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 लैपटॉप , 01 टैबलेट, 08 मोबाईल फोन , 06 दो पहिया वाहन व घटना में प्रयुक्त ऑटो, एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद।

दिनांक 06.09.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि डम्पिंग यार्ड सिद्धार्थविहार में एक ऑटो में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है जिनके पास अवैध अलाह भी है। मुखबिर की सूचना पर विजयनगर पुलिस टीम डम्पिंग यार्ड में पहुंची तो यार्ड में खड़े ऑटो से पांच व्यक्ति उतर कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगे। जिसमें आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तगणों पर फायरिंग की गयी जिसमें 02 अभियुक्त घायल हो गये तथा मौके पर 03 अभियुक्त **1. दीपक उर्फ डेविड (पुलिस मुठभेढ में घायल) 2. अभिषेक मौर्य (पुलिस मुठभेढ में घायल) 3. अरमान** को डम्पिंग यार्ड सिद्धार्थविहार में प्रयुक्त ऑटो व चोरी/लूट के सामान एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा 02 अभियुक्त अंकुर व अंकित अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। घायल अभियुक्त दीपक उर्फ डेविड व अभिषेक मौर्य को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बाजार, राहगीर, एवं घरों से मोटर साईकिल चोरी, मोबाईल लूट जैसी घटना कारित करते हैं तथा उन्हे सस्ते दामों पर बेचकर जो रूपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते हैं। आज भी हम चोरी/लूट के सामाने को बेचने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. दीपक उर्फ डेविड पुत्र पप्पू भारद्वाज निवासी न्यू कोट गांव निकट पानी प्लाट मसाले वाली गली थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम साबितगढ़ थाना पहासू जिला बुलन्दशहर उम्र 22 वर्ष।
2. अभिषेक मौर्य पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी गली नं0 07, 30 फुटा रोड़ निकट पूरनमासी प्रधान के पास नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।
3. अरमान पुत्र अमीरूद्दीन निवासी म0न0 397 माता कालोनी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 लैपटॉप , 01 टैबलेट
2. 08 मोबाईल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के ,
3. 05 मोटर साईकिल व 01 स्कूटी।
4. 02 तमंचे व 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस। (मुठभेढ में बरामद)
5. घटना में प्रयुक्त आटो।

अभियुक्त का अपराध इतिहासः-

अभियुक्त दीपक उपरोक्त पर :- 07 अभियोग लूट चोरी एवं स्वापक अधिनियम व 01 अभियोग पुलिस मुठभेड कुल 08 अभियोग गाजियाबाद में पंजीकृत है।

अभियुक्त अभिषेक मौर्य पर :- 01 अभियोग स्वापक अधिनियम व 01 अभियोग पुलिस मुठभेड कुल 02 अभियोग गाजियाबाद में पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखे/आतिशबाजी का निर्माण करने वाले 05 अभियुक्तों को निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध पटाखे व बनाने में प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 06.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चौकी क्षेत्र चिरौडी में सरपंच दरगाई क्रिकेट स्टेडियम के पास एकता कालोनी में बने मकानों में अवैध तरीके से मिश्रित आतिशबाजी बनाने व बेचने के लिये पटाखे निर्माण का कार्य करते हुये अवैध पटाखे निर्माण करने वाले 05 अभियुक्तों को मय अवैध सामग्री के दिनांक 06.09.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा किये जा रहे इस अवैध निर्माण से किसी भी जनहानि की घटना घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग अवैध पटाखे/ आतिशबाजी निर्माण कर इन्हें बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। अभियुक्तों से बरामद रॉयल इन्फील्ड एवं स्पलेंडर बाइक के बारे में पुछताछ की गई तो इनके द्वारा उक्त बाइकों का प्रयोग माल को लाने व ले जाने में करना बताया गया।

अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. गुलजार पुत्र कालेखान निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीलमोड जनपद गा0बाद उम्र करीब 31 वर्ष
2. अकित पुत्र मनफूल निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीलमोड जनपद गा0बाद उम्र करीब 26 वर्ष
3. नईमुद्दीन उर्फ गुड्डू पुक्ष मईनुद्दीन निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीलमोड जनपद गा0बाद उम्र करीब 30 वर्ष
4. इरफान पुत्र सादक निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीलमोड जनपद गा0बाद उम्र करीब 28 वर्ष
5. राजीव उर्फ राजा पुत्र राम सिंह निवासी असालतपुर फरुखनगर थाना टीलमोड जनपद गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

पटाखे बनाने का मिश्रित पाउडर वजन 50 किग्रा0, 09 पंचिग मशीन, 6000 पीस खाली नलकी कागज 4000 पीस बर्थडे कैन्डिल पूर्ण निर्मित पटाखा (बायरो) 200 पीस, अर्ध निर्मित पटाखा (बायरो) 300पीस, एक बाईक रॉयल इन्फील्ड व एक बाईक हीरो स्पलेंडर, पैकिंग गस्ते 06 बोरे, एक छोटा गैस सिलेन्डर व 01 इलैक्ट्रिक तराजू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की झूठी सूचना का सफल अनावरण।

दिनांक 05.09.2024 को थाना साहिबाबाद पर वादी विनोद कुमार राय पुत्र श्री भरत राय निवासी-मकान नं0-बी-209-बी लाजपतनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र लगभग 58 वर्ष द्वारा एक लिखित तहरीर की दी गई और बताया गया कि 02 अज्ञात लोगों द्वारा वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करके 20 हजार रुपये लेने तथा वादी को औरतों वाले कपड़े पहनाकर वीडियो बनाने के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण

उपरोक्त घटनाक्रम का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा जाँच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी विनोद कुमार राय पुत्र श्री भरत राय उपरोक्त के बड़े बेटे सूरज की मृत्यु वर्ष 2021 में हो गयी थी। जिसके चलते उनकी मानसिक स्थिति सही नही चल रही थी। इसी दौरान इनके छोटे पुत्र अभिषेक द्वारा रुपीक फाईनेन्स कम्पनी से 60 हजार रुपये का लोन ले लिया था। फाईनेन्स कम्पनी से लिया कर्ज न चुका पाने के कारण फाईनेन्स कम्पनी कर्मचारियों द्वारा वादी के छोटे बेटे अभिषेक को जेल भिजवाने की धमकी दी गयी थी। जिसके चलते वादी विनोद कुमार राय की मानसिक स्थिति और खराब हो गयी। जिस कारण वादी विनोद कुमार राय ने लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी थी।

पूछताछ का विवरण

विनोद कुमार राय पुत्र श्री भरत राय ने पूछताछ में बताया कि मै अपने बेटे द्वारा लिए गए लोन को लेकर परेशान था। इसीलिए मैने रात्रि के समय स्वयं ही अपनी पत्नी के कपड़े व मेकअप कर स्वयं अपनी सेल्फी लेकर सोशल

मीडिया पर अपलोड की और बाद में स्वयं ही मैने अपने पैर बाँधकर डुपट्टे को अपने हाथों में लपेटा जिससे लोगों का लूट की घटना सही लगे और फिर शोर मचाया जिससे आसपास के लोग इकठ्ठा हो गए।

लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता

विनोद कुमार राय पुत्र श्री भरत राय निवासी-मकान नं0-बी-209-बी लाजपतनगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र लगभग 58 वर्ष।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस, प्रवर्तन टीम मेरठ व आबकारी टीम गाजियाबाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र सेवाधाम के अन्तर्गत खुशी वाटिका खड्डा में एक दुकान से अवैध शराब बेचने वाली महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 208 पव्वे हरियाणा मार्का अवैध शराब बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरा पति प्रमोद अवैध शराब हरियाणा मार्का खरीदकर लाता है तथा मैं और मेरा पति इसे यहाँ लाकर बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

लता पत्नी प्रमोद कुमार निवासी खसरा नंबर 63, ब्लॉक ए, खुशी वाटिका (खड्डा), थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्ता से बरामदगी का विवरण

अभियुक्ता के कब्जे से कुल 208 पव्वे अवैध शराब हरियाणा मार्का (धारिता 180 ML) बरामद हुआ तथा जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्ता लता पत्नी प्रमोद उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 आबकारी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

2.प्रवर्तन टीम मेरठ

3.आबकारी टीम गाजियाबाद।